फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

रोडूलाल नाई बनाम जगदीश नाई

धारा 111, 128 वाद / प्रा0प0 / अपील प्र0सं0 38/17

31/5/17 बाद जॉच वाद / प्रा0प0 / अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणो / अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 12/7/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

5/6/17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प हमीरगढ पर पेश हुई पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायरा मुकदमा से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार–2017, दिनांक 05.06.2017 कैम्प कोर्ट– हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री रेनु मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 38/2017

1. रोडू लाल आत्मज श्रीद्वारका नाई निवासी हमीरगढ हाल मुकाम सी 163/2 कृष्णा कुंज काशीपुरी भीलवाडा जिला भीलवाडा

–**प्रार्थी**

बनाम

1. जगदीश चन्द्र पुत्र श्री द्वारका नाई निवासी नाईयो का मोहल्ला, हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. ओमपुकाश पुत्र रामपाल नाई निवासी हमीरगढ हाल अरिहन्त मार्बल बीज गोदाम डांगी फेक्ट्री के पीछे आजाद नगर भीलवाडा जिला भीलवाडा
3. सीतादेवी पत्नी रामपाल नाई निवासी हमीरगढ हाल अरिहन्त मार्बल बीज गोदाम डांगी फेक्ट्री के पीछे आजाद नगर भीलवाडा जिला भीलवाडा
4. दिनेश कुमार पिता रामपाल नाई निवासी नाईयो का मोहल्ला, हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
5. नन्दराम पुत्र श्री देवीदास कामड निवासी भाण्डो की गली हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
6. रतनदास पुत्र देवीदास कामड निवासी भाण्डो की गली हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
7. राजस्थान राजय जरिये तहसीलदार हमीरगढ

–**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956
निर्णय दिनांक 05.06.2017

प्रार्थी की और से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 30.05.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ प0म0 हमीरगढ तहसील हमीरगढ मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 3700/1 रकबा 0–11, 3701 रकबा 0–07, 4153/3701 रकबा 0–12 कुल किता 3 रकबा 1–10 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 30.05.2017 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 07 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने क उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित मे एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण क अवलोकन से यह बात है कि प्रार्थी का स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है ग्राम हमीरगढ प0म0 हमीरगढ तहसील हमीरगढ मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 3700/1 रकबा 0–11, 3701 रकबा 0–07, 4153/3701 रकबा 0–12 कुल किता 3 रकबा 1–10 बीघा भूमि की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड नियम 1956 के प्रावधानो मे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क 200/–रू0 पक्षकार – प्रार्थी राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें ।

आदेश आज दिनांक 05.06.2017 को खुला न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें ।